झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद संख्या 01 वर्ष 2022

विविधवाद / प्रथम अपील

DISPOSED
08/02/2022

अपीलकर्त्ता श्रीमती सीता देवी सर्राफ, रोड-03, विद्यानगर, वार्ड-34, हरमू, राँची।

बनाम

प्रतिवादी 1. DSO, राँची।
2. श्री बच्चू साव, PDS विक्रेता अनु0सं0-38/17, वार्ड-37, राँची।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	शिकायतकर्ता श्रीमती सीता देवी सर्राफ का शिकायत–पत्र वाट्सएप्प नं0–8271019108 के माध्यम से आयोग द्वारा जारी वाट्सएप्प नं0 पर प्राप्त हुआ, जिसमें उल्लेखित है कि वे वास्तव में धनबाद जिले के निवासी हैं। किन्तु वर्तमान में राँची, विद्यानगर, रोड नं0–03, हरमू, वार्ड–34 में विगत एक वर्ष से निवास कर रहे हैं एवं विगत 6 माह से जनवितरण प्रणाली वितरक श्री बच्चू साव, अनु0 सं0–38/2017, वार्ड–37 से राशन प्राप्त कर रहे थे, किन्तु जनवरी, 2022 का राशन जनवितरण प्रणाली वितरक द्वारा देने से इंकार कर दिये जाने का उल्लेख किया गया है। स्पष्ट है कि इस मामले में राज्य सरकार के ONORC (एक राष्ट्र एक राशन कार्ड) सम्बन्धी निदेश का उल्लंघन किया जा रहा है एवं इससे लाभुक को उनके अधिकार से वंचित होना पड़ रहा है। अतः प्रस्तुत मामले को गंभीरता से लेते हुए इस पर सुनवाई करने का निर्णय लिया जाता है। उक्त सुनवाई में उपस्थित रहने हेतु वादी श्रीमती सीता देवी सर्राफ एवं प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, राँची एवं सम्बन्धित जनवितरण प्रणाली वितरक को नोटिस निर्गत किया जाय। सुनवाई की तिथि दिनांक–08.02.2022 को रखें। 28/01/2022 E:\Ziyaul\Vinod Sir\Court note.docx8	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
08-02-22	अभिलेख उपस्थापित। अपीलकर्ता श्री अनिल कुमार सर्राफ एवं प्रतिवादी की ओर से पणन पदाधिकारी, श्री विरेन्द्र कुमार सिंह एवं राशन डीलर उपस्थित रहे। अपीलकर्त्ता द्वारा आयोग के समक्ष बयान दिया गया कि उन्हें माह जनवरी का राशन प्राप्त हो गया है एवं अब उन्हें कोई शिकायत नहीं है। उक्त के आलोक में प्रस्तुत वाद की कार्रवाई पूर्ण मानते हुए इसे समाप्त किया जाता है। इसके साथ ही राँची जिले से सम्बंधित निम्न 4 परिवादों की प्रति जो पूर्व में वॉट्स्ऐप के माध्यम से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, राँची को कार्रवाई हेतु प्रेषित है, उनकी छायाप्रति पणन पदाधिकारी, श्री विरेन्द्र कुमार सिंह को हस्तगत कराई गईः– 1. श्रीमती अपर्णाबाड़ा, काँके 2. श्री कार्तिक सिंह मुण्डा व अन्य, तमाड़ 3. श्री राम नारायण केशरी, काँके 4. श्री विजय नायक, धुर्वा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, राँची को निदेशित किया जाता है कि उपरोक्त सभी परिवादों का जाँचोपरान्त समुचित निराकरण कर दोषी डीलर के विरूद्ध नियम संगत कार्रवाई करते हुए एक सप्ताह के अन्दर कृत कार्रवाई प्रतिवेदन आयोग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। आदेश की प्रति पणन पदाधिकारी, राँची अनुभाजन को आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध करा दी जाय। Sd/- 8.2.22 (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। Sd/- 8/02/2022 (हलधर महतो) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	
प्राप्त किया Sd/- 8/2/22		

D:\Premlata\Final Court Order.docx21